

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

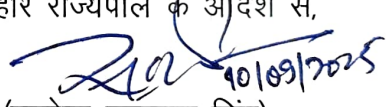
अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कंडिका-36 एवं 32 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त एवं रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद के विरुद्ध अगले आदेश तक निम्नरूपेण जिला आयोग के अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता है:-

जिला आयोग का नाम	अध्यक्ष, जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार
1	2
बेगूसराय	अध्यक्ष, जिला आयोग, भागलपुर जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, बांका के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, बेगूसराय का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो-दो दिन कार्य करेंगे।
लखीसराय	अध्यक्ष, जिला आयोग, जमुई जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, नवादा के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, लखीसराय का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो-दो दिन कार्य करेंगे।
नालंदा	अध्यक्ष, जिला आयोग, जहानाबाद जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, पटना के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, नालंदा का भी अतिरिक्त प्रभार; जिला आयोग, पटना में सप्ताह में चार दिन एवं जिला आयोग जहानाबाद एवं नालंदा में सप्ताह में एक-एक दिन कार्य करेंगे।

- जिला आयोग में अध्यक्ष के नियमित पदस्थापन होने के पश्चात यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- उपरोक्त जिला आयोगों से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
- आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सत्येन्द्र नारायण सिंह)

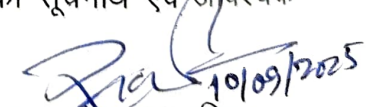
सरकार के अवर सचिव,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- खाद्य प्र0 13-89/2025 2314

खाद्य, पटना/दिनांक 10-9-2025

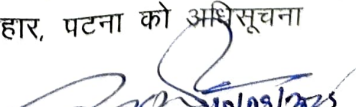
प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के प्रधान आर्ष सचिव/सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/संबंधित वरीय कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- खाद्य प्र0 13-89/2025 2314

खाद्य, पटना/दिनांक 10-9-2025

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।